


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 27, 2016/चैत्र 7, 1938

No. 196]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 27, 2016/CHAITRA 7, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2016

सा.का.नि. 341(अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नलिखित उद्घोषणा की जाती है :—

मैं, प्रणब मुखर्जी, भारत का राष्ट्रपति, ने उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल से एक प्रतिवेदन प्राप्त किया है और प्रतिवेदन पर तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविधान” कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः, अब, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उद्घोषणा करता हूँ कि मैं--

(क) भारत के राष्ट्रपति के रूप में उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेता हूँ ;

(ख) यह घोषणा करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ जो मुझे इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :--

(i) यथापूर्वोक्त इस उद्घोषणा के खंड (क) द्वारा मेरे द्वारा हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों के प्रयोग में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह विधिपूर्ण होगा कि मैं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक कृत्य करूं, जो मैं उचित समझूं ;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों का प्रचालन निलंबित किया जाता है, अर्थात् :-

अनुच्छेद 3 के परंतुक का उतना भाग जितना राज्य के विधान मंडल के प्रति राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिर्देश से संबंधित है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितना भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाने से संबंधित है ;

अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितना राज्य की सरकार के कार्य को मंत्रियों में आबंटन से संबंधित है ;

अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितना राज्य की विधान सभा द्वारा किसी संकल्प को पारित करने से संबंधित है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ;

अनुच्छेद 175 से अनुच्छेद 178 (दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और खंड (ग) तथा उस अनुच्छेद का पहला परंतुक ;

अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 189, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 196, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 199 के खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 208 से अनुच्छेद 211 (दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परंतुक और खंड (3) का परंतुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितना राज्य के विधान मंडल के समक्ष ज्ञापन सहित प्रतिवेदन रखवाने से संबंधित है ;

(iii) उक्त राज्य के संबंध में, संविधान के राज्यपाल के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है, और उसमें राज्य के विधानमंडल या उसके सदनों के प्रति निर्देश का, जहां तक यह उसके कृत्यों और शक्तियों से संबंधित है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संसद् के प्रति निर्देश है, तथा विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या उसके सदनों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निर्देश है:

परंतु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अनुच्छेद 159 (दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा दूसरी अनुसूची के पैरा 1 से पैरा 4 (दोनों सम्मिलित हैं) को प्रभावित नहीं करेगी, या राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से उस सीमा तक कृत्य करने से निवारित नहीं करेगी, जो वह उचित समझें ;

- (iv) संविधान में राज्य के विधानमंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें इस उद्घोषणा के आधार पर राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद् द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश सम्मिलित है, और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग, जो राज्य विधियों को लागू होता है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह उक्त राज्य के विधान मंडल का कोई अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

27 मार्च, 2016

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति

[फा. सं. वी/11013/2/2016-सीएसआर- 1]

राजीव महर्षि, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2016

G.S.R. 341(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas I, Pranab Mukherjee, President of India, have received a report from the Governor of the State of Uttarakhand and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as the Constitution);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
 - (i) in exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying, before the Legislature of the State, of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

article 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;

article 175 to 178 (both inclusive);

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

article 180, 181, 188, 189, 193, 194, 196, 198 and clauses (3) and (4) of article 199;

article 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to the Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, article 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule, or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or Laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act of law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi;

The 27th March, 2016

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. V/11013/2/2016-CSR-I]
RAJIV MEHRISHI, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2016

सा.का.नि. 342(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा 27 मार्च, 2016 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (i) के अनुसरण में, मैं निदेश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य की सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जो राष्ट्रपति द्वारा उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर हाथ में ले लिए गए हैं, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,

27 मार्च, 2016

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति

[फा. सं. वी/11013/2/2016-सीएसआर- I]

राजीव महर्षि, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2016

G.S.R. 342(E).— The following Order made by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 27th day of March, 2016, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttarakhand and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;

The 27th March, 2016

PRANAB MUKHERJEE,
President.

[F. No. V/11013/2/2016-CSR-I]
RAJIV MEHRISHI, Home Secy.